समक्ष :– श्रीमान माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर (म.प्र.)

रा.रिविजन क्रं. /2016 निग – 377 – PBR – 16

(1.) विजयसिंह पिता स्व. गुलाबसिंह ठाकुर उम्र 70 वर्ष फौत 13/04/17

यहकि, आवेदक क्र 1 की निम्न वारिसान 1. श्रीमती शकुन बाई पत्नी स्व. श्री विजय सिंह ठाकुर 2. मधु पुत्री स्व. श्री विजय सिंह ठाकुर 3. ममता पुत्री स्व. श्री विजय सिंह ठाकुर 4. विकास सिंह पुत्र स्व. श्री विजय सिंह ठाकुर समस्त निवासीगण-रानीपुर तहसील घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल (म.प्र.) ~~है जिनको अभिलेख~~

2. धीरेन्द्रसिंह पिता विजयसिंह ठाकुर उम्र 35 वर्ष

दोनो निवासी –रानीपुर तह. घोड़ाडोगरी जिला बैतूल

..... रिविजनकर्तागण

श्री पी.के. तिवारी एड. द्वारा आज दि. 27-1-16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 27-1-16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्व

धर्मेन्द्रसिंह उम्र 54 वर्ष पिता स्व. गुलाबसिंह ठाकुर
निवासी रानीपुर, हाल निवासी शोभापुर कालोनी पाथाखेड़ा
सारणी तह. घोड़ाडोगरी जिला बैतूल

.... गैरपुनरीक्षणकर्ता

रिवीजन अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959 विरूद्व आदेश दिनांक 7-11-15 द्वारा पारित तह- घोडाडोंगरी प्र.क्र. 4-अ-70-14-15.

रिविजनकर्तागणो की ओर से निम्न विनय है :–

यह रिविजन तहसीलदार महोदय घोड़ाडोगरी तह. घोड़ाडोगरी जिला बैतूल के न्यायालय के राजस्व प्रकरण कमांक 4 अ/70 वर्ष 2014–15 मौजा रानीपुर पक्षकार धर्मेन्द्रसिंह विरूद्व विजयसिंह व अन्य मे अन्तरवर्ती आदेश दिनांक 7/11/2015 जिसके अंतर्गत रानीपुर के ख.नं. 205/2 रकबा 0.441 हे. भूमि का कब्जा अनावेदक धर्मेन्द्रसिंह व. स्व. गुलाबसिंह का अप्राधिकृत होने के फलस्वरूप उसे कब्जा दिलाये जाने के आदेश हुए है, जिसमे अनावेदकगण आवेदक को कब्जा सौपने मे हस्तक्षेप न करने के लिये अनावेदक 10,000/– रुपये का बंध पत्र भी निष्पादित करे एवं थाना प्रभारी रानीपुर राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी तथा ग्राम कोटवार को आदेशित किया कि उक्त भूमि का कब्जा मौके पर अनावेदक धीरेन्द्रसिंह व. विजयसिंह से दिलाया जावे इस आदेश से दुखी होकर रिविजनकर्ता द्वारा यह रिविजन पेश कर किया जा रहा है।

माननीय अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 7/11/15 की सूचना रिविजनकर्ता को आदेश की नकल दिनांक 11/1/16 को नकल निकालने पर हुई अतः म्याद दिनांक 12/1/16 से शुरु हुई है। यह रिविजन म्याद मे प्रस्तुत है।

रिविजन के आधार

1. यह कि प्रश्नगत आदेश दिनांक 7/11/15 गैरविधिपूर्ण होने से निरस्त होने

... 2 पर

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 377-पीबीआर/2016 जिला बेतूल

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-03-19	आवेदक अधिवक्ता श्री पी0के0तिवारी उपस्थित। प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभयपक्ष दिनांक 29-5-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो । अध्यक्ष	